बोनस में पिछले साल से चार गुना कम मिलेगी राशि

- महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने से बनी स्थिति
- पिछले वर्ष प्रति क्विंटल 175 रुपए दी गई थी बोनस की राशि

कन्हैया लोधी

भोपाल, 13 मार्च. राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, इस वर्ष वैसे किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े निर्णय ले रही है, लेकिन इस बीच गेहूं उपार्जन के मामले में किसानों के प्रति दरियादिली दिखाने में हाथ खींच लिए गए हैं.

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं उपार्जन पर 175 रुपए बोनस दिया था, लेकिन इस बार बोनस की राशि को प्रति क्विंटल महज 40 रुपए देने की ही घोषणा की गई है, इसका असर ये होगा कि मप्र में पिछले वर्ष के मुकाबले किसानों को चार गुना से भी कम राशि बोनस के रूप में मिल सकेगी.

उपार्जन वर्ष 2025-26 की अवधि में राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को प्रति क्विंटल भारी-भरकम बोनस राशि देने की घोषणा की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश के लगभग 9.5 लाख किसानों को1360 करोड़ रुपए की राशि केवल बोनस के रूप में दी गई थी. इस अवधि में राज्य सरकार ने 77.74 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी की थी. इस दौरान प्रति क्विंटल बोनस के साथ 2600 रुपए में खरीदी की गई थी. बोनस के अलावा उपार्जन के लिए राज्य सरकार ने किसानों को 20214 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था. वहीं वर्ष 2024-25 की अवधि में भी राज्य सरकार ने किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस का भुगतान किया था. इस सीजन में किसानों को केवल बोनस के रूप में ही 605 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था. इस सीजन में प्रदेश में महज 48.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का ही उपार्जन किया जा सका था, जिसके उपार्जन पर बोनस के अलावा राज्य सरकार ने 11607.59 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी.

एमएसपी बढ़ा, लेकिन बोनस घटाया

केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है. ये पिछले वर्ष के मुकाबले 160 रुपए अधिक है. पिछले वर्ष एमएसपी प्रति क्विंटल 2425 रुपए तय किया गया था. वहीं इस बार एमएसपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार ने बोनस की राशि में कटौती कर दी. महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने पर सरकार के खजाने पर लगभग 310 करोड़ रुपए का ही वित्तीय भार आएगा, जो कि पिछले वर्ष दिए गए 1360 करोड़ रुपए के मुकाबले चार गुना से भी कम है. पिछले वर्ष किसानों को एमएसपी और बोनस मिलाकर प्रति क्विंटल 2600 रुपए मिले थे, वहीं इस बार एमएसपी और बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे. इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले प्रति क्विंटल महज 25 रुपए ही अतिरिक्त मिलेंगे.

उपार्जन पर पड़ सकता है असर

प्रदेश में महज 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने से गेहूं के उपार्जन पर असर पड़ सकता है. राज्य सरकार ने एक करोड़ मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन के हिसाब से तैयारी की है. लेकिन बोनस की राशि कम मिलने से किसान मंडी के बजाय बाहर बेचने को प्राथमिकता दे सकते हैं.

'कुंभ गर्ल' मोनालिसा को वापस लाने की गुहार

- मोनालिसा को घर लाने सीएम से गुहार

खरगोन, 13 मार्च. खरगोन जिले के महेश्वर की चर्चित 'कुंभ गर्ल' मोनालिसा के पिता जयसिंह भोंसले ने बेटी को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुहार लगाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को धोखे से फंसाया गया है और यह लव जिहाद का मामला है.

जयसिंह भोंसले ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब वे अपनी बेटी से मिलने के लिए केरल गए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया. उनका कहना है कि उनकी बेटी ने 'कुंभ गर्ल' के रूप में देशभर में पहचान बनाई थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे

फिल्मों में काम कर अपना भविष्य बनाएगी. पिता का आरोप है कि फरमान खान नामक युवक ने उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया. वहीं कुछ सामाजिक संगठनों के अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच की मांग की है.उधर मोनालिसा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने फरमान खान से मंदिर में अपनी इच्छा से विवाह किया है और यह उनका निजी फैसला है. पुलिस का कहना है कि मोनालिसा बालिग हैं और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

कार्बाइड परिसर में किया जाएगा भोपाल गैस मेमोरियल का निर्माण

- हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के आदेश

जबलपुर, 13 मार्च. सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी पेष की गयी कि यूनियन कार्बाइड परिसर में भोपाल गैस मेमोरियल बनाया जायेगा. इसके लिए अपर मुख्य सचिव भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजित की गयी थी.

बैठक में सफाई, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने एव आस-पास की खराब मिट्टी और ग्राउंड वाटर के सुधार, खराब प्लांट स्ट्रक्चर के डिटॉक्सिफिकेशन और डीकंटैमिनेशन पर चर्चा की गयी. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के तहत तैयार इस कार्य के लिए शॉर्ट-टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने सरकार को कार्य योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है. जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. इस दौरान हाईकोर्ट में दायर की गयी अन्य याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जापान व जर्मनी के पास है. हाईकोर्ट ने उक्त याचिका की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किये जाने के आदेश जारी किये गये थे.

हाईकोर्ट ने उक्त आदेश वापस ले लिया था

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 8 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में सरकार के द्वारा इंसानों की आबादी से सिर्फ 500 मीटर दूर लैंड फिलिंग का स्थान निर्धारित किया जाने पर रोक लगा दी थी. सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने उक्त आदेश वापस ले लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि जहरीले कचरे से निकाली राख की लैंड फिलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उक्त जानकारी पेश की गयी.

शंकराचार्य चौराहे पर बनेंगे अंडरपास, छोटी रपट होगी अब 8 लेन

- भैरूगढ़ पुलिया भी होगी फोरलेन
- पेयजल पाइपलाइन को किया जाएगा शिफ्ट
- सिंहस्थ मेला अधिकारी और कलेक्टर से नवभारत की खास बातचीत

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 को लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ गई है. करीब 30 हजार करोड़ रुपये की राशि से 30 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है. संभाग आयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने इन तैयारियों को लेकर नवभारत से चर्चा में कई अहम जानकारियां साझा कीं.

संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि शंकराचार्य मार्ग पर बड़नगर रोड चौराहे के पास अंडरपास बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है. इससे सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी और पैदल यात्रियों को भी सुरक्षित रास्ता मिल सकेगा. रामघाट की ओर स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी.

कार्यों को एक साल पहले पूरे करने का लक्ष्य

सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने निर्माण स्थलों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और गुणवत्ता व्यवस्था भी देखी. निर्माण स्थल पर बनाई गई क्वालिटी कंट्रोल लैब में सामग्री की जांच प्रक्रिया को समझा गया और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो. सिंहस्थ 2028 से एक वर्ष पहले सभी प्रमुख ब्रिज और ढांचागत कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

छोटी रपट को बनाएंगे 8 लाइन- रामघाट की छोटी रपट जो दानीगेट से दत्त अखाड़ा ब्रिज होते हुए कार्तिक मेला ग्राउंड की ओर जाती है, उसे अब 8 लेन के पुल में बदला जा रहा है. करीब 30 मीटर चौड़े इस पुल से सिंहस्थ के समय भारी भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी.

पुल के पास की पाइप लाइन होगी शिफ्ट- इसी तरह भैरवगढ़ क्षेत्र में भी निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. यहां मौजूद पुलिया के समानांतर एक और टू-लेन पुलिया बनाई जा रही है जो फ़ोर लेन में तब्दील हो जाएगी. निर्माण के दौरान गंभीर डेम से गुजरने वाली पेयजल पाइपलाइन को सुरक्षित तरीके से शिफ्ट करने की तैयारी है, ताकि जल आपूर्ति भी प्रभावित न हो और निर्माण कार्य भी बिना बाधा पूरा हो सके.

आम लोगों के लिए भी ध्यान

सिंहस्थ कार्यों के दौरान शहर की आम जनता को दिक्कत न हो, इसके लिए निर्माण एजेंसियों से कहा गया है कि जहां काम चल रहा है वहां आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते भी बनाए रखें, ताकि रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित न हो.

आईटीआई मक्सी रोड आरओबी पर भी काम- आईटीआई मक्सी रोड पर बन रहे अतिरिक्त टू-लेन आरओबी के दौरान जमीन के नीचे से गुजर रही गैस पाइपलाइन के कारण काम में तकनीकी अड़चन सामने आई है. इसे शिफ्ट करने के लिए संबंधित एजेंसियों और रेलवे के साथ समन्वय कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि निर्माण कार्य जल्द गति पकड़ सके.

डायल-112 ने सड़क दुर्घटना में घायलों की बचाई जान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 मार्च. रतलाम जिले में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को डायल-112 की त्वरित कार्रवाई से समय पर अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गई. यह दुर्घटना थाना बड़ावदा क्षेत्र में हुई, जहाँ तूफान जीप और एक मिनी लोडिंग वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए.

अधिकारियों के अनुसार, 12 मार्च को भोपाल स्थित राज्य स्तरीय डायल-112 पुलिस कंट्रोल रूम को बाबा फरीद दरगाह के पास दुर्घटना की सूचना मिली. सूचना मिलते ही तत्काल प्रथम प्रतिक्रिया वाहन (एफआरवी-13) को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुँचने पर आरक्षक अंतर सिंह और पायलट अंकित परमार ने पाया कि दुर्घटना में सात लोग घायल हो गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एफआरवी वाहन से सिविल अस्पताल जावरा पहुँचाया.

पेज एक का शेष

होर्मुज से निकलेंगे भारतीय जहाज

उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना युद्ध में दबाव बनाए रखेगी और अभियान को और तेज किया जाएगा. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बॉम्बर विमानों से स्ट्राइक मिशन चलाए जाएंगे. इसी के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर निकलने के बाद गुजरात के कांडला बंदरगाह तक लगभग 1000 किमी की दूरी है. मुंबई तक दूरी 1450-1560 किमी तक है. तेल टैंकर 24-31 किमी/ घंटे की रफ्तार से चलते हैं. औसत गति 27.78 किमी प्रति घंटा मानें तो कांडला पहुंचने में 37 घंटे यानी डेढ़ दिन लगेंगे. मुंबई पहुंचने में करीब 53 घंटे यानी दो दिन से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. असल में मौसम, लोड और रूट के हिसाब से यह समय 2 से 3 दिन तक हो सकता है. ये जहाज बहुत भारी होते हैं इसलिए तेज नहीं चलते, लेकिन लगातार चलते रहते हैं.

350 सिलेंडर जब्त, दो के खिलाफ एफआईआर

- मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दी गई जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 मार्च. देश के साथ प्रदेश में भी पेट्रोलियम और रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए लगाई गई एस्मा के बाद लगातार कार्यवाही की जा रही है. अभी तक 115 स्थानों पर जांच की गई, 350 सिलेण्डर जब्त किये गए, वहीं दो के खिलाफ एफआईआर की गई है.

यह जानकारी शुक्रवार को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रम एवं मध्य पूर्व देशों के दृष्टिगत प्रदेश में पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा के लिए गठित मंत्रि मंडल समिति की बैठक में दी गई. कमेटी गठित होने के बाद पहली बैठक मंत्रालय में हुई.बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, द्वारा समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए. मंत्री काश्यप वर्चुअली शामिल हुए. बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई. बैठक में प्रदेश के प्रवासियों को खाड़ी देशों से सुरक्षित लाने के लिये किये गये उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि कहीं वितरण व्यवस्था में अनियमितता या विलंब की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

मप्र में बढ़ी गर्मी की मार, कई जिलों में लू का असर

03 डिसे तक अधिक दर्ज किया गया तापमान

24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा

भोपाल, 13 मार्च. मध्यप्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार के प्रेक्षण पर आधारित जारी मौसम सारांश के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.

कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम जिले में तीव्र लू का प्रभाव देखा गया. वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने के बावजूद कई संभागों में यह सामान्य से काफी अधिक रहा है.

जानकारी के अनुसार शाहडोल के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में इसमें भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. इंदौर, ग्वालियर, चंबल डिवीजन और सागर डिवीजन के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा, जबकि शेष संभागों में यह सामान्य स्तर पर दर्ज किया गया.

विरोध एनएसयूआई ने उठाए सवाल, भर्ती में आरक्षण का मसला भी उठाया

एमपी में स्टॉफ नर्स भर्ती में अन्याय का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 मार्च. मध्यप्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट से जूझ रही है. प्रदेश के शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हजारों स्टाफ नर्स के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में कठिनाई हो रही है.

ऐसे में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई स्टाफ नर्स भर्ती अधिसूचना पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने कड़ी आपत्ति जताई है.

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने राज्य सरकार पर हजारों पंजीकृत नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी की गई तथाकथित 'बंपर भर्ती' में पूरे प्रदेश के लिए मात्र सात पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश में हजारों पद खाली हैं.

परमार ने यह भी आरोप लगाया कि इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए एक भी पद निर्धारित नहीं किया गया है. उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की भावना के विरुद्ध बताया. भोपाल एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि इतनी सीमित भर्ती से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और कमजोर होंगी तथा योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा. संगठन ने सरकार से रिक्त पदों का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक करने, बड़े स्तर पर नियमित भर्ती निकालने और आरक्षण व्यवस्था का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग की है.

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE
Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछ है आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भौतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25022914, श्री रतन सिंह बघेल (ऋणी), श्रीमती लंका बघेल (सहऋणी)	10-जनवरी-2026 5,81,059.68/- पांच लाख इक्यासी हजार उनसठ रुपये और अड़सठ पैसे मात्र, 08-जनवरी- 2026 तक भौतिक कब्जा 13-मार्च-2026	श्रीमती लंका बघेल की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित ओपन प्लॉट नं. 12, सर्वे नं. 35/2/1, पी.एच. नं. 37 (पुराना) 80 (नया), ग्राम कालीबिलोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453001, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट	Rs. 5,04,000/- पांच लाख चार हजार रुपये मात्र	Rs. 50,400/- पचास हजार चार सो रुपये मात्र	Rs. 5,97,258.48 दिनांक 12-03-2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 30.03.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 28.03.2026, सायं 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 26.03.2026 (कार्यालय समय में)

निविदा की शर्तें :-

(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किऐ जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं ।

नोट:-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8 (6) के अधीन 15 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांक: 13.03.2026 स्थान: इंदौर, मप्र

प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60